

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006

जयपुर, दिनांक : 4-10-2016

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

1. In Appendix-7 - List of Forms, after the New GA Form No. 36 - Salary Bill, so amended, the following New GA Form No. 36A to 36O, shall be inserted as under:

List of Forms	Rule No.	Present Form No.	New Form No.
Salary Arrear Bill	150(1)	76	36A
DA Arrear Bill	150(1)	76	36B
Surrender Bill	150(1)	76	36C
Surrender Arrear Bill	150(1)	76	36D
Bonus Bill	150(1)	76	36E
Leave Encashment Bill	150(1)	76	36F
Leave Encashment Arrear Bill	150(1)	76	36G
Salary Bill - Reverse Deputation	150(1)	76	36H
Salary Bill - Re-employment : Fix Pay	150(1)	76	36I
Salary Bill - Re-employment : Pay Minus Pension	150(1)	76	36J
Pay/Honorarium Bill : Govt. Employee	150(1)	76	36K
Pay/Honorarium Bill : Nominated Members/Authority	150(1)	76	36L
Medical Bill	191	76	36M
Medical - Advance Bill	206(c)(6)	76	36N
Medical - Advance Adjustment Bill	206(c)(6)	76	36O

2. In Appendix - 7 - List of Forms, the following existing New GA Form Nos. shall be substituted as under:

List of Forms	Rule No.	Present Form No.	New Form No.
Salary Bill	150(1)	36	36
T.A.Bill	189(1), 203(10)	94,95	65
GPF/SI/NPS - Loan/Advance/Claim/Refund Bill	206E (2)	125	76
Contingent Bill (FVC)	219	108	84
Advance Contingent Bill	219	109	85
Detailed Contingent Bill	219	110	86
Revenue Refund Bill	255(ii)	117	100
Deposit Repayment Bill	263(c)	120	103
Refund of Lapse Deposit Bill	265(3)	154	105
Grant In Aid Bill/Contribution etc.	287(a)	118	110
Scholarship/Stipend	291(1)	119	112

3. After the existing New GA Form No. 65, 100 and 112 so amended, the following New Form No. GA 65A to 65D, 100A and 112A shall be inserted respectively, as under:

List of Forms	Rule No.	Present Form No.	New Form No.
TA - Advance Bill	189(1), 203(10)	94,95	65A
TA - Advance Adjustment Bill	189(1), 203(10)	94,95	65B
LTC Bill	205	94,95A	65C
LTC Bill -Advance	205	94,95	65D
VAT Refund Bill	255	-	100A
Stipend Bill (For Resident Doctor(s) (Govt. Employee))	291(1)	-	112A

4. The existing New Form No.64 shall be deleted. *
5. These amendments shall be effective with effect from January 1, 2017.

आज्ञा से,
8/4/16
(रामावतार शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि इन संशोधनों बाबत सभी कार्यालयाध्यक्षों/आहरण-वितरण अधिकारियों को सम्यक् रूप से जागरूक (sensitize) कराना सुनिश्चित करावें।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर इन संशोधनों बाबत सभी संबंधित अधिकारियों को उचित रूप से जागरूक (sensitize) कराना/अनुपालना में आवश्यकतानुसार सहयोग कराना सुनिश्चित करावें।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
13. समस्त कोषाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि इन संशोधनों बाबत सभी विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से भी सम्यक् रूप से जागरूक (sensitize) कराएं एवं व्यावहारिक रूप से अनुपालना बाबत आवश्यक सहयोग प्रदान करावें।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. विधि रचना संगठन को ज्ञात कर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
17. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

8/4/16
(हरीश लड्डा)
मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR -/2/2016)